"आईसीएआर के लेखाओं की जांच, नारियल विकास बोर्ड के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना और निधियों का अवरोधन"

[समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

लोक लेखा समिति
(2020-21)

बाईसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2202

बाईसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

"आईसीएआर के लेखाओं की जांच, नारियल विकास बोर्ड के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना और निधियों का अवरोधन"

[समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

सत्यमेव जयते

02.02.2021 .....को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

02.02.2021.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2020/ माघ, 1942 (शक)

लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अजय मिश्र टेनी
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री विष्णु दयाल राम
10. श्री राहुल रमेश शेवाले
11. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री राजीव चन्द्रशेखर

17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. श्री भूपेन्द्र यादव
21. रिक्त
22. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री टी.जी. चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एम.एल.के. राजा	-	निदेशक
3.	श्री आलोक मणि त्रिपाठी	-	उप सचिव

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय-एक प्रस्तावना

अध्याय-दो* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है....

अध्याय-तीन* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

अध्याय-चार* टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय-पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर/कोई उत्तर नहीं दिए हैं

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2020-21) की 01.12.2020 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. लोक लेखा समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

*प्रतिवेदन के साइक्लोस्टाइल प्रति में सम्मिलित नहीं है ।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित "**आईसीएआर के लेखाओं की जांच, नारियल विकास बोर्ड के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना और निधियों का अवरोधन**" विषयक एक सौ दसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह बाईसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति के एक सौ दसवें प्रतिवेदन को 09 अगस्त, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार के उत्तर 22 मई, 2019 को प्राप्त हुए थे। समिति ने इस विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और तत्पश्चात, 01 दिसम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया। बैठकों का कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को इस प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दी गई सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

5. समिति के एक सौ दसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;

सितंबर, 2020

भाद्रपद, 1942 (शक)

अधीर रंजन चौधरी

सभापति,

लोक लेखा समिति

अध्याय-एक
प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन तीन लेखा परीक्षा पैराओं यथा "अलग-अलग केंद्रीय स्वायत निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना और निधियों का अवरोधन" पर आधारित "आईसीएआर के लेखाओं की जांच, नारियल विकास बोर्ड के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना और निधियों का अवरोधन" विषयक समिति के एक सौ दसवें प्रतिवेदन (सोलहवां लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इनमें से, पहला और तीसरा लेखापरीक्षा पैरा / विषय कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और दूसरा पैरा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दायरे में आता है। तदनुसार, समिति की जांच उस क्रम में की गई है।

2. समिति का 110वां (16 वीं लोकसभा) प्रतिवेदन 9 अगस्त, 2018 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में 07 टिप्पणियां/सिफ़ारिशें अंतर्विष्ट हैं। कृषि मंत्रालय से सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं और इन्हें वृहद् रूप से निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है-

क्र सं. 1, 3, 5, 6 और 7

कुलः 05

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

क्र. सं. शून्य

कुलः 0

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

क्र. सं. 2 और 4

कुलः 2

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं/कोई उत्तर नहीं दिए हैं

क्रं. सं. शून्य

कुलः 0

अध्याय-पांच

3. समिति के एक सौ दसवें प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत/सभा पटल पर रखे जाने के छः माह के भीतर अर्थात फरवरी, 2019 तक सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधित मंत्रालय अर्थात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने थे। की-गई-कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) 06.02.2019 को प्राप्त हुए थे।

4. समिति के एक सौ दसवें प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई टिप्पण इस प्रतिवेदन के संगत अध्यायों में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं। आगे के पैराओं में, समिति अपनी उन कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी जिन्हें या तो दोहराए जाने अथवा जिन पर आगे टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

क. <u>अलग-अलग केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां</u>
(सिफारिश सं. 2)

5. समिति के समक्ष दिए गए मौखिक साक्ष्य और प्रस्तुत सामग्री/जानकारी की जांच करने पर समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि आईसीएआर की जिन 5 इकाइयों/संस्थानों नमूना जांच की गई, उन्होंने वर्ष 2003-04 के प्रारम्भ में तैयार की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (एसएपी) का उल्लंघन करते हुए अपनी परिसम्पतियों की अनुसूची में जमीन की कीमत

(फ्री-होल्ड और लीज होल्ड) नहीं दर्शाई है। समिति यह नोट करके भी अचंभित है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने केवल लेखा टिप्पणियों के बाद ही इन पांचों इकाइयों/संस्थानों को जमीन की कीमत अपनी परिसम्पतियों की अनुसूची में दर्शाने के लिए निर्देशित किया और तब इन्हें वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाओं में दर्शाया गया है। समिति पाती है कि मंत्रालय ने यह आश्वस्त किया है कि सभी प्रकार की जमीनों को अब अंकीकृत (डिजिटीलाइज्ड) किया जा चुका है और लेखाओं में दर्ज कर दिए गए हैं, अतः इन इकाइयों द्वारा वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं में ऐसी परिसम्पतियों का समाधान/अंकित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का आश्वासन लेखा निष्कर्षों का एक प्राथमिक परिणाम है और समिति के हस्तक्षेप के कारण दिया गया है। अतः, इस स्तर पर समिति स्पष्ट शब्दों में दृढ़तापूर्वक कहती है कि ऐसे ठोस प्रयत्नों से कोई सार्थक परिणाम निकलना चाहिए और न केवल वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं में, बल्कि आने वाले वर्षों में भी जमीन की वास्तविक स्थिति अवश्य दर्शाई जाए और परिसम्पतियों के एकीकृत डाटा हेतु एक प्रणाली तैयार की जाए।

6. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

> "समिति के अवलोकन हेतु यह प्रस्तुत है कि आईसीएआर की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार आईसीएआर की सभी इकाइयों द्वारा जमीन और अन्य परिसम्पतियों को दर्शाने के लिए लगातार ठोस प्रयत्न किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समिति की टिप्पणी के आधार पर, आईसीएआर की सभी इकाइयों को अपने वार्षिक लेखाओं में जमीन की कीमत अनिवार्य रूप से दर्शाने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है, जो प्रत्येक इकाई के वार्षिक लेखे को स्वीकार करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता भी होगी। सभी आईसीएआर इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि फ्री-होल्ड/उपहार स्वरूप प्राप्त की गई जमीन की नाममात्र कीमत रू. 1/- दर्शाई जाए और लेखाओं में इस प्रकार की जमीन के प्रकार का विवरण भी अलग से निर्दिष्ट किया जाए।

7. उपरोक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पण की पुनरीक्षा करते हुए, लेखा परीक्षा ने निम्नवत टिप्पणी की: -

"विभाग ने परिसम्पत्तियों के एकीकृत डाटा हेतु एक प्रणाली तैयार करने संबंधी लोक लेखा समिति की सिफारिश का उत्तर नहीं दिया है। इसे लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

8. मंत्रालय ने उक्त लेखा परीक्षा टिप्पणी में अपनी आगे की टिप्पणियों में निम्नवत बताया है:

"काउंसिल ने ईआरपी आधारित एफएमएस-एमआईएस प्रणाली को पहले ही अपना लिया है और परिसम्पत्तियों सहित इसके लेखाकरण के रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण करने के प्रयास किए हैं, परन्तु यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, चूंकि इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। काउंसिल की सम्पूर्ण भारत में 110 से अधिक इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई को अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों का पता लगाना/समाधान करना है, जिससे रिपोर्टों में परिशुद्धता लाने के लिए त्रुटि-रहित आंकड़े ही इस प्रणाली में फीड किए जा सके और इससे ही परिसम्पत्तियों के एकीकृत आंकड़ों की एक मजबूत पद्धति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सॉफ्टवेयर की अनेक तकनीकी, कार्यात्मक एवं परिचालनात्मक आवश्यकताओं के कारण अत्यधिक मात्रा एवं कठिन स्वरूप का कार्य होने के नाते, निरन्तर अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों के समेकन की दिशा में सभी पहलुओं के मूल्यांकन के साथ-साथ इसमें समय भी लग रहा है। इस प्रकार, देश भर में फैली हुई आईसीएआर की सभी इकाइयों की परिसम्पत्तियों के एकीकृत आंकड़ों की एक सुदृढ़ प्रणाली के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। तदनुसार, आईसीएआर द्वारा परिसम्पत्तियों के एकीकृत आंकड़ों की सुदृढ़ प्रणाली आरम्भ करने संबंधी पीएसी को उपलब्ध करवाई जाने वाली जानकारी को संकलित कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ठोस प्रयासों से परिसम्पत्तियों के एकीकृत आंकड़ों की एक सुदृढ़ प्रणाली को आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में लागू करने की उम्मीद की जा सकती है।"

9. समिति नोट करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले प्रस्तुत अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में, यह आश्वासन दिया कि सभी प्रकार की भूमियों का डाटा डिजिटल कर दिया गया है और रिकॉर्ड बना दिया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं में इकाइयों द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों के समेकन/ अंकन के लिए हर तरह के ठोस प्रयास किए जाएंगे। समिति यह भी नोट करती है कि जैसा कि लेखा परीक्षा ने भी पाया है कि मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर प्रारंभिक रूप से अपूर्ण था, क्योंकि परिसंपत्तियों के एकीकृत डाटा हेतु एक प्रणाली तैयार करने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई । समिति यह भी नोट करती है कि बाद के उत्तर में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ठोस प्रयास करते हुए, परिसंपत्तियों के एकीकृत डाटा हेतु एक मजबूत प्रणाली को अगले वित्त वर्ष 2020-21 में लागू करने की उम्मीद की जा सकती है।

समिति पाती है कि मंत्रालय का उत्तर कि परिसंपत्तियों के एकीकृत डाटा हेतु एक मजबूत प्रणाली को वित्त वर्ष 2020-21 में लागू किए जाने की उम्मीद की जा सकती है, एक आश्वासन लगता है। प्रारंभ में प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ में देखा जाए जिसमें यह बताया गया है कि सभी प्रकार की भूमि के डाटा को डिजिटल किया गया है, सरकार के हालिया उत्तर से ऐसा नहीं लगता कि मामले को यथोचित गंभीरता से लिया गया है। समिति यह भी पाती है कि समयबद्ध तरीके से परिसंपत्तियों के एकीकृत डाटा बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के उत्तर में कोई ठोस और विशिष्ट कदमों का ज़िक्र नहीं है। मंत्रालय के उत्तर को नोट करते हुए समिति द्वारा यह बताया जाना है कि देश भर में फैली सभी आईसीएआर इकाइयों की परिसंपत्तियों का एक एकीकृत डाटा बनाने का कार्य सॉफ्टवेयर की कई तकनीकी, कार्यात्मक और परिचालन आवश्यकताओं आदि के कारण एक बड़ा और कठिन कार्य है, समिति का मानना है कि किसी भी संगठन के पास, एक व्यापक डेटाबेस, अर्थात, अपनी संपत्ति का एक स्पष्ट संकलन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह के एक एकीकृत डाटा से होने वाला लाभ डाटा बनाने के प्रयासों और चुनौतियों को पीछे छोड़ देगा। अतः, समिति चाहती है कि मंत्रालय संपत्ति के एकीकृत डाटा तैयार करने के लिए ठोस प्रयास करे और इसके संबंध में समिति को जल्द से जल्द अवगत कराए।

ख. लेखाओं का गलत विवरण

(सिफारिश सं. 4)

10. विषय की जांच करने पर, समिति यह नोट करके भी क्षुब्ध है कि आईसीएआर के जीपीएफ लेखाओं में बैंक-जमा, बॉण्ड्स एवं अन्य निवेश पर उपार्जित ब्याज के आकलन में त्रुटियां एवं गलत विवरण है। विभाग ने उपर्युक्त टिप्पणी को स्वीकार करते हुए यह बताया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, आईसीएआर जीपीएफ लेखाओं में आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए हैं तथा संबंधित अधिकारियों को निवेश/इंस्ट्रूमेंट से उपार्जित ब्याज की गणना के मामले में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तथापि, यह समिति इस संबंध में केवल परामर्श जारी करने से संतुष्ट नहीं है और चाहती है कि विभाग/आईसीएआर द्वारा आईसीएआर के जीपीएफ लेखाओं में उपार्जित ब्याज की गणना में गलती/त्रुटि के लिए जवाबदेही नियत की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने से बचने के लिए त्रुटिरहित तंत्र विकसित किया जाए।

11. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

"उपार्जित ब्याज की गणना में त्रुटि का विश्लेषण किया गया और अब त्रुटिरहित तंत्र अपनाया गया है जिसमें उपार्जित ब्याज की, प्रतिभूतियां जारी करने वाली संस्थाओं से हर तरह से जांच करने के साथ-साथ उनके उपार्जित ब्याज के प्रमाण-पत्र से मिलान किया गया है। समयावधि पूरी कर रहे विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट एवं तत्संबंधी उपार्जित ब्याज को भी अलग अनुबंध में दर्शाया जा रहा है तथा उससे उपार्जित वास्तविक ब्याज को दर्शाने वाले वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है और अब जारी करने वाली संस्थाओं से सही आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें सम्मिलित कर उपार्जित ब्याज की हर तरह से जांच करने के लिए एक त्रुटिरहित तंत्र मौजूद है। यह दोहराया जाता है कि उपार्जित ब्याज के आकलन में यह त्रुटि, पहले इस प्रकार की त्रुटिरहित तंत्र न होने के कारण हुई, जो किसी की व्यक्तिगत गलती न होकर व्यवस्था में खामी थी। माननीय संसद सदस्य से अनुरोध है कि संगठन द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की जाए

तथा इस संगठन द्वारा अपनाए गए सुधार के उपायों को देखते हुए इस मुद्दे को विराम देने पर विचार करें।"

12. उपरोक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पण की पुनरीक्षा करते हुए, लेखा परीक्षा ने निम्नवत टिप्पणी की: -

"आईसीएआर में बैंक जमाओं, बांड तथा अन्य निवेशों पर उपार्जित ब्याज के आकलन में 2011-12 से आईसीएआर के लेखाओं में त्रुटियों तथा गलत विवरण पर एसएआर में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अत: आगे कोई और टिप्पणी नहीं करनी है।"

13. समिति नोट करती है कि आईसीएआर ने आईसीएआर जीपीएफ लेखाओं में बैंक जमा, बॉन्ड और अन्य निवेशों पर उपार्जित ब्याज के आकलन में त्रुटियों और गलत विवरण के बारे में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया है। समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि आईसीएआर जीपीएफ लेखाओं के उपार्जित ब्याज के आकलन में चूक/त्रुटि के लिए आईसीएआर जिम्मेदारी तय करे और यह सिफारिश की थी कि भविष्य में इस प्रकार की चूकों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक त्रुटिरहित तंत्र को तैयार करे। समिति सरकार के उस उत्तर को भी नोट करती है कि उपार्जित ब्याज के आकलन में त्रुटि एक उचित तंत्र न होने के कारण हुई है, जो आईसीएआर ने खुद माना है कि यह एक व्यवस्थागत खामी है। समिति इस मुद्दे को विराम देने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, यह नोट करते हुए अचंभित है कि मंत्रालय ने बैंक जमाओं आदि पर उपार्जित ब्याज के आकलन में त्रुटियों के कारण को पहचानने की परवाह न करते हुए उनकी वजह व्यवस्थागत खामी को ठहरा दिया | अत:, समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि सरकार चूकों के कारणों की पहचान करे और यह सुनिश्चित करने के अलावा कि खामी का प्रभावी ढंग से निदान हो, जिससे ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, इस बारे में जिम्मेदारी तय करे ।

******

अध्याय - पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतरिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
फरवरी, 2021
माघ, 1942 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

गोपनीय

लोक लेखा समिति (2020-21) की 01 दिसम्बर, 2020 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार 01 दिसम्बर, 20 20को समिति कक्ष `डी`, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1100 बजे से 1बजे तक हुई। 415

उपस्थित

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
.5श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री जगदम्बिका पाल
8. श्री जयंत सिन्हा
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

राज्य सभा

10. श्री राजीव चन्द्रशेखर
11. श्री सी.एम. रमेश
12 .श्री भूपेन्द्र यादव

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री एम.एल.के. राजा - निदेशक
3. श्रीमती भारती एसटूटेजा. - अपर निदेशक

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

***** ***** *****

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) के प्रतिनिधि

***** ***** *****

कांफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री(सी आई आई) के प्रतिनिधि

***** ***** *****

भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (एफ आईसीसीआई) के प्रतिनिधि

***** ***** *****

2. ***** ***** ***** |

3. ***** ***** ***** |

4. ***** ***** ***** |

5. ***** ***** ***** |

6. ***** ***** ***** |

7.	*****	*****	*****
8.	*****	*****	*****
9.	*****	*****	*****
10.	*****	*****	*****
11.	*****	*****	*****
12.	*****	*****	*****
13.	*****	*****	*****
14.	*****	*****	*****
15.	*****	*****	*****
16.	*****	*****	*****
17.	*****	*****	*****
18.	*****	*****	*****
17.	*****	*****	*****
18.	*****	*****	*****
19.	*****	*****	*****
20.	*****	*****	*****

21. तत्पश्चात, समिति ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों को विचारर्थ लियाः

क. ***** ***** *****;

ख. `आईसीएआर के लेखाओं की जांच` `निर्धारित उद्देश्य का प्राप्त न होना` और `नारियल विकास बोर्ड के निधियों का अवरोधन` के संबंध में समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; और

ग. ***** ***** *****

22. उपर्युक्त पहले दो प्रारूप प्रतिवेदनों (क) और (ख) को समिति द्वारा बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया। (ग) में उल्लिखित तीसरे प्रतिवेदन में पैरा 30 की अंतिम पंक्ति में मामूली परिवर्तनों का सुझाव दिया गया।

23. ***** ***** *****

24. समिति ने तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर पूर्वोक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और सदस्यों के सुझावों और माननीय अध्यक्ष/संसद को इसे प्रस्तुत करने के लिए माननीय सभापति को भी प्राधिकृत किया।

25. समिति ने यह भी प्रस्ताव किया कि तीन उप-समितियों अर्थात उप-समिति 1 से 3 (2020-2021) का उन्हें आवंटित विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पुनर्गठन किया जाए।

26. माननीय सभापति ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों को अपने विचार-विमर्श में समिति की सहायता के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।